शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 15 – 22 मई 2023 मूल्य पांच रूपए

सुक्खू सरकार के खिलाफ भी शुरू हुई पत्र बम्ब रणनीति

पॉवर प्रोजेक्टों के आर्बिट्रेशन मामलों में दस अरब का नुकसान होने से बढ़ी आशंकांये

- सरकार के तीन अधिकारी निशाने पर
- जांच होने पर शिकायतकर्ता का सामने आकर आरोप प्रमाणित करने का दावा
- पूर्व की जयराम सरकार के खिलाफ भी ऐसे ही हुई थी शुरुआत

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? क्या सरकार के अपने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं? क्या पूर्व की जयराम सरकार की तर्ज पर सुक्खू सरकार के खिलाफ भी पत्र बम्बों की रणनीति अपनाई जाने लगी है? यह सवाल इन दिनों सचिवालय के गलियारों से निकलकर सड़क-चौराहों पर चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक पत्र स्वास्थ्य विभाग को लेकर उप-मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया था। इस पत्र में एक अधिकारी की संपत्तियों और उसके भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुये इसमें गहन जांच की मांग की गयी थी। लेकिन यह पत्र सचिवालय तक पहुंच भी पाया और उस पर कोई कारवाई हुई या नहीं इसका कुछ भी आज तक सामने नहीं आ पाया है। अब एक और पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र में आरोप लगाया है कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस पत्र में तीन अधिकारियों का जिक्र किया है। इन तीनों में से एक तो अभी भी विभाग में कार्यरत है और एक कुछ समय पूर्व तक विभाग से संबद्ध रह चुका है। तीसरे अधिकारी का विभाग से कभी कोई लेना-देना नही रहा है परन्तु उसे प्रभावशाली बताया गया है। उर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर आरोप लगाये गये हैं। हवाला के माध्यम से लेनदेन का आरोप है। इस आरोप में जो आंकड़ा दिया गया है उसके आकार को देखते हुये यह संभव नही लगता कि यदि सही में इतना बड़ा लेनदेन हुआ है तो यह राजनेताओं की जानकारी के बिना ही संभव हो गया होगा।

उर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसकी पुष्टि पिछले दिनों कुछ परियोजनाओं के आर्बिट्रेशन के चल रहे मामलों में आये फैसलों से हो जाती है। सरकार पिछले दिनों जो माामले हारी है और उनमें जो अप फ्रन्ट प्रिमियम ब्याज सहित संबद्ध कंपनियों को लौटाना पड़ेगा। यदि उसको जोड़ा जाये तो यह रकम दस अरब से भी अधिक बन जाती है। अदानी पावर का मामला हारने के अतिरिक्त कुछ अन्य हारे मामलों में प्रमुख हैं चांजु-डूग्गर-सैली और ऊहल। इसमें दिलचस्प यह है कि यह सारे मामले विभाग की कार्यप्रणाली के कारण हारे हैं। इनमें प्रदेश और आम आदमी के पैसे का नुकसान हुआ है। लेकिन अरबों का नुकसान हो जाने के बावजूद किसी भी अधिकारी कर्मचारी की इसने आज तक कोई जिम्मेदारी तक तय नहीं की गयी है। क्या ऐसा राजनीतिक इच्छा के बिना हो सकता है यह सवाल उठ रहा है।

हिमाचल कांग्रेस ने चुनावों से पूर्व 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी गारन्टी दी है। सरकार ने अब कहा है कि वह पहले 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी और उसके बाद मुफ्त बिजली का वादा पूरा करेंगे। इस दिशा में परियोजना के निर्माताओं से इसके निर्माण में तेजी लाकर इसे 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। स्मरणीय है कि यह परियोजना 2012 में आबंटित हुई थी। यह बहुत पहले तक ही पूरी हो जानी चाहिये थी। इसमें शायद दूसरी बार समय विस्तार दिया गया है। इस परियोजना के निर्माण में इसलिये देरी हुई है क्योंकि इसमें निर्माता कंपनी को समय पर ड्राइंग ही नहीं दिये गये। लेकिन इस देरी के लिये किसी भी अधिकारी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस पत्र बम्ब में भी इस परियोजना को यह आरोप लगाया गया। यह पत्र सीधे प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है और यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता जांच होने पर इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिये तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि सरकार ने समय रहते कदम न उठाये तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

यह है पत्र बम्ब के कुछ अंश

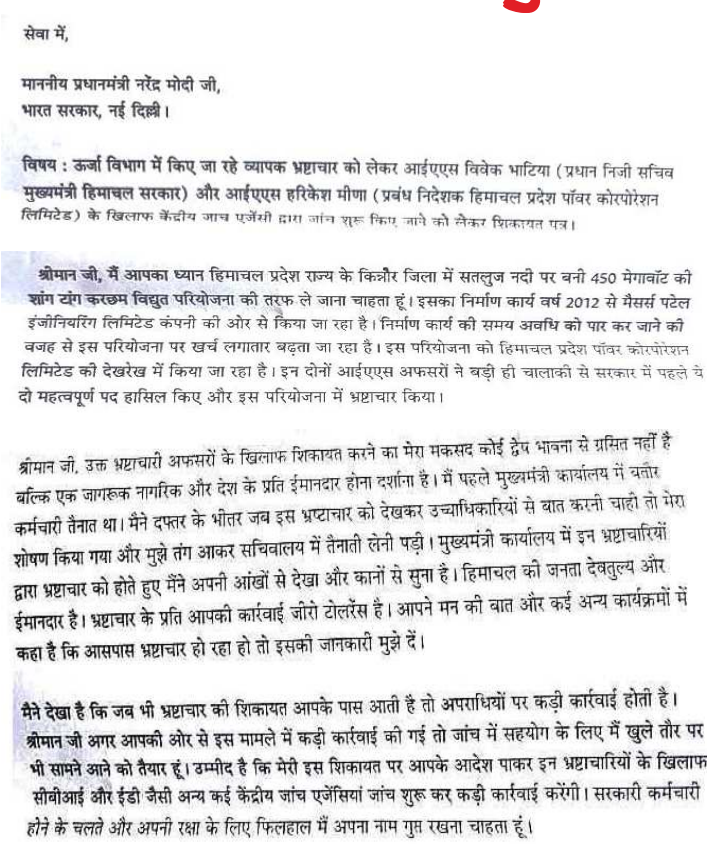

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय : ऊर्जा विभाग में किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर आईएएस विवेक भाटिया (प्रधान निजी सचिव मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार) और आईएएस हरिकेश मीणा (प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड) के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच शुरू किए जाने को लेकर शिकायत पत्र।

श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर बनी 450 मेगावॉट की शांग टांग करछम विद्युत परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2012 से मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की ओर से किया जा रहा है। निर्माण कार्य की समय अवधि को पार कर जाने की वजह से इस परियोजना पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जा रहा है। इन दोनों आईएएस अफसरों ने बड़ी ही चालाकी से सरकार में पहले के दो महत्वपूर्ण पद हासिल किए और इस परियोजना में भ्रष्टाचार किया।

श्रीमान जी, उक्त भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ शिकायत करने का मेरा मकसद कोई द्वेष भावना से ग्रसित नहीं है बल्कि एक जागरूक नागरिक और देश के प्रति ईमानदार होना दर्शाना है। मैं पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर कर्मचारी तैनात था। मैंने दफ्तर के भीतर जब इस भ्रष्टाचार को देखकर उच्चाधिकारियों से बात करनी चाही तो मेरा शोषण किया गया और मुझे तंग आकर सचिवालय में तैनाती लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री कार्यालय में इन भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। हिमाचल की जनता देवतुल्य और ईमानदार है। भ्रष्टाचार के प्रति आपकी कार्रवाई जीरो टोलरेंस है। आपने मन की बात और कई अन्य कार्यक्रमों में कहा है कि आसपास भ्रष्टाचार हो रहा हो तो इसकी जानकारी मुझे दें।

मैंने देखा है कि जब भी भ्रष्टाचार की शिकायत आपके पास आती है तो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। श्रीमान जी अगर आपकी ओर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई तो जांच में सहयोग के लिए मैं खुले तौर पर भी सामने आने को तैयार हूं। उम्मीद है कि मेरी इस शिकायत पर आपके आदेश पाकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी अन्य कई केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच शुरू कर कड़ी कार्रवाई करेंगी। सरकारी कर्मचारी होने के चलते और अपनी रक्षा के लिए फिलहाल मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं।

राज्यपाल ने राज्य रेडक्रॉस भवन में फिजियोथैरेपी केन्द्र का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, जो राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं, ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस भवन में फिजियोथैरेपी केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र के खुलने से रोगियों

को यहां ऑर्थोपीडिक फिजियोथैरेपी, न्यूरोलॉजीकल फिजियोथैरेपी और दर्द प्रबन्धन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

रेडक्रॉस के सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस एक ऐसी पवित्र संस्था है जिसके लिए समाज की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज को कुछ देने के भाव से ही लोग इस संस्था से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं तो यह उन्नति करता है। जब समाज आगे बढ़कर कुछ देता है तो इससे राष्ट्र आगे बढ़ता है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान यहां की देव संस्कृति एवं स्वच्छ वातावरण से है और इसी कारण राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्यों को नशामुक्ति में अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। उन्हें ऐसे बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ मिलकर इन युवाओं को नशामुक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए और सही मायने में समाज के लिए यही उनकी सेवा होगी। उन्होंने सदस्यों से हिमाचल को टी.बी. मुक्त बनाने में सहयोग देने का भी आग्रह किया।

राज्यपाल ने राज्य रेडक्रॉस को निर्देश दिए कि रेडक्रॉस भवन में सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित किए जाने चाहिए ताकि आपसी सम्पर्क एवं सहयोग से सोसायटी के कार्य को और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होंने अधिक से अधिक रक्तदान शिविर लगाने पर भी बल दिया।

इस अवसर पर रोगियों के लिए मैमोग्राफी स्क्रीनिंग और एक्यूपंक्चर थैरेपी का भी शुभारंभ किया गया।

इससे पूर्व राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के महासचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया और केन्द्र की गतिविधियों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्य कमलेश ठाकुर, राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबन्धन समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर, राज्य रेडक्रॉस की मानद सचिव डॉ. किम्मी सूद सहित रेडक्रॉस के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

एकीकृत एवं समग्र गतिविधियों को बढ़ावा देगी 'हिम उन्नति' योजनाः चंद्र कुमार

शिमला/शैल। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश अनुकूल जलवायु, समृद्ध मृदा और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राज्य में विभिन्न

प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त परिवेश विद्यमान है। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना 'हिम उन्नति' शुरू की है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में 2603 कलस्टर बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेशभर में 889 कलस्टर चिन्हित किए गए हैं। प्रथम चरण में इस वर्ष 286 कलस्टर में कार्य शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषि एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को 'चलो गांव की ओर' नीति को अपनाने तथा फील्ड में जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा।

कृषि मंत्री ने पोषक अनाज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसके अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना, आतमा, भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति व राष्ट्रीय सत्त खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य में पोषक अनाज उगाने के लिए तकनीक का उपयोग कर लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके उत्पादों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलवायु अनुकूल पोषक अनाजों की ज़िलेवार पहचान कर इनका स्थानीय तथा वैज्ञानिक डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति अपना रहे हैं। हिमाचल इस खेती में अन्य राज्यों के समक्ष आदर्श के रूप में उभरा है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 02 लाख किसानों के लिए 6693 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के 165221 किसान सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्रदेश की 3611 पंचायतों में इस पद्धति के माध्यम से खेती की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने में संबद्ध क्षेत्र विशेष भूमिका निभाते हैं। प्रदेश सरकार पशुपालकों के पशुधन की देखरेख के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इस दिशा में शीघ्र ही मोबाइल वेटेनरी यूनिट लॉन्च की जाएगी। इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। पशुपालकों को एक फोन कॉल के माध्यम से उनके घरद्वार के निकट दवाई एवं लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कृषि आधारित प्रचार-प्रसार सामग्री का विमोचन भी किया।

बैठक में विभिन्न कृषि गतिविधियों तथा हिमगंगा योजना पर प्रस्तुति भी दी गई।

कृषि सचिव राकेश कंवर, निदेशक कृषि डॉ. राजेश कौशिक, निदेशक पशुपालन डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा, हिमफैड के प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र अत्री और विभिन्न जिलों से आए विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

प्रदेश में तैयार होगी नई हरित हाइड्रोजन नीति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार एक नई हरित हाइड्रोजन नीति बना रही है, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य को इसके उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पर्याप्त धूप, पानी और हवा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचुर संसाधन उपलब्ध होने से हिमाचल हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए एक आदर्श स्थल है।

इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना है ताकि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हरित विद्युत की निरंतर और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इससे न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान सुनिश्चित होगा बल्कि राज्य को सत्त विकास में भी अग्रणी बनाएगा।

उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में प्रयासों को बल देते हुए राज्य सरकार ने हाल ही ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पायलट आधार पर हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया का उत्पादन संभव होगा। इसके अलावा, सरकार युवा उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है और नई हरित ऊर्जा नीति में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में एक संयंत्र स्थापित करने में भी रूचि दिखाई है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और इसे ई-इथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार की पहल के अनुरूप इस वैकल्पिक ईंधन को सीधे पेट्रोल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निवेश और प्रयास न केवल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे बल्कि राज्य में स्वच्छ मोबिलिटी के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महत्वाकांक्षी पहलों के अलावा, एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन) चंबा जिले में पायलट आधार पर एक ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी स्थापित कर रही है। इस परियोजना में एक समर्पित सौर संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर इकाई और एक डिस्पेंसर के साथ एक हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए चंबा जिले के मोहाल मोनखरी में भूमि चिन्हित की गई है। इस संयंत्र के कार्यशील होने के उपरांत, हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा हाइड्रोजन चालित बसों के संचालन की योजना तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसे प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके अलावा, यह स्थायी आर्थिक विकास के अवसर सृजित करेगा। इससे हिमाचल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा।

10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू

शिमला/शैल। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 शुरू की गयी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस महत्त्वकांक्षी योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना हिमाचल को वर्ष-2026 तक देश का पहला 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस योजना के तहत राज्य के युवाओं कोई-टैक्सियां, ई-बसें, ई-ट्रक खरीदने और एक मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के साथ इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर दृढ़ता से काम कर रही है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से एक ओर जहां स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन सेवा प्रदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को व्यापक विस्तार देने के लिए दंत क्लीनिक स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद और मत्स्य पालन पर आधारित परियोजनाओं और इसके प्रसंस्करण को भी इस इसके दायरे में लाया गया है। सरकार द्वारा 60 लाख तक के संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत के निवेश अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत अनुदान और सभी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और दिव्यांगजनों को 35 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। इन ई-वाहनों की खरीद के लिए अनुदान का हिस्सा समान रूप से 50 प्रतिशत होगा, जबकि एक मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यह पात्र श्रेणियों के लिए 40 प्रतिशत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न केवल स्थानीय युवाओं को अनुदान देकर निजी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रयासरत है, बल्कि सरकारी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर भर्ती भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में अकेले प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लगभग 5300 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है और इन्हें भरने की प्रक्रिया शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसरप्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

दो किस्तों में दिया जाएगा एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों का ओवरटाइम और रात्रि भत्ता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के

चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चालकों व परिचालकों का 11 करोड रुपये देय हैं जोकि दो किस्तो में दो माह के भीतर अदा किया जाएगा। वह एचआरटीसी इंटक, एचआरटीसी भारतीय मजदूर संघ, एचआरटीसी चालक संघ और एचआरटीसी परिचालक संघ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए पूरा सहयोग करेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग भी जरूरी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जिसके फलस्वरूप सरकार एचआरटीसी की सभी वित्तीय देनदारियों को धीरे-धीरे समाप्त कर देगी।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी यूनियनों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एचआरटीसी कर्मचारियों को संगठन के साथ भावनात्मक लगाव है जिस कारण कर्मचारियों को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से अधिक उम्मीदें हैं।

कर्मचारी संघों ने एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित उनकी विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

विधायक राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, एचआरटीसी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

नशा निवारण एवं पुनर्वास पर नई एवं ठोस योजना लाएगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक चमकते सितारे के रूप में विद्यमान है। वहीं राज्य में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृति तथा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भांग, अफीम इत्यादि की गैर कानूनी खेती से राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित मामलों में हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गयी है और विशेष तौर पर स्थानीय युवा नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। नशे की बढ़ती प्रवृति का प्रमुख कारण यहां नशीले पदार्थों की अवैध खेती और इसकी उपलब्धता भी है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़संकल्प है। राज्य सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ कठोर से कठोर निर्णय लेने का संकल्प लिया है। प्रदेश सरकार समाज से नशे को जड़ समेत उखाड़ फैंकने के लिए नशा निवारण एवं पुनर्वास योजना तैयार करने जा रही है ताकि नशे की लत में फंस चुके व्यक्तियों को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के ठोस एवं बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के सहयोग से प्रदेश में अत्याधुनिक नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गुरूकुल पद्धति पर आधारित इस केन्द्र में नशे की गिरफ्त में आ चुके है व्यक्तियों को चरणबद्ध ढंग से नशामुक्त कर उनके पुनर्वास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ा जाएगा।

नशा निवारण के साथ ही यह केंद्र इसमें रहने वाले लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा जिससे वह अपने खोए हुए मनोबल को पुन: हासिल कर जीवन में प्रगति व खुशहाली की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इस केन्द्र में उपचाराधीन लोगों को उचित उपचार, पुनर्वास व काउंसलिग (परामर्श सेवा) भी उपलब्ध होगी ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद मिले।

प्रथम चरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशा सेवन की प्रवृत्ति में फंसे व्यक्तियों को पुलिस, स्वास्थ्य विभाग व सलाहकार बोर्ड का भरपूर सहयोग प्राप्त हो ताकि उन्हें नशे के खिलाफ जारी संघर्ष में आशातीत सफलता मिले। दूसरे चरण में स्वास्थ्य, युवा सेवाएं एवं खेल, शिक्षा व तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कृषि व बागबानी विभाग आपस में मिलकर संयोजित तरीके से पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार कर इस पर अमल करेंगे। साथ ही पुलिस, ग्रामीण विकास और स्थानीय निकाय भी आपसी सहयोग से पुनर्वासित लोगों की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।

पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न

जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रायल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गयी छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15 फीसदी, अगले 18 वर्ष तक 20 फीसदी और इससे अगले 10 वर्ष तक 30 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12 फीसदी, अगले 18 वर्ष के लिए 18 फीसदी और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30 फीसदी का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गयी है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन चालीस वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्व-कार्यान्वयन और कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को गंभीरता से लिया और ऊर्जा विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11149.50 मेगावॉट क्षमता की 172 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यशील हो चुकी हैं, जबकि 2454 मेगावाट क्षमता की 58 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो और ऊर्जा विभाग को इनकी निगरानी के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में देरी से प्रदेश के राजस्व को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निदेशालय को सुदृढ़ किया जाएगा और विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई जलविद्युत परियोजनाओं ने एक बार की माफी लेने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, ऐसे में इन परियोजनाओं का आवंटन तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और इनका पुन: विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है और प्रदेश के राजस्व अर्जन में किसी भी तरह के नुकसान से समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थापित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की भी समीक्षा की और इनके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विभाग को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव ऊर्जा राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई निर्णायक फैसले भी लिए गए है। व्यवस्था परिवर्तन की राह पर सरकार लोगों के हितों के लिए सभी पहलुओं पर गहनता से विचार कर रही है। यह बात राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न चरणों में राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशील है तथा इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने व समयबद्ध निर्णय लेने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। इससे प्रदर्शित होता है कि सरकार प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक तथा अद्यतन सूचना के आधार पर विकास करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने बैठक के दौरान संबंधित विभागों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और सभी कार्यों समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जिससे लोगों को लाभान्वित कर प्रदेश की उन्नति सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सूखे पेड़ों को चिन्हित करने व कटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वनों में सूखे वृक्षों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को दैनिक आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का कार्य वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य समय पर पूरा हो। कोताही बरतने पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। उन्होंने वन मण्डलाधिकारियों को चिन्हित सूखे पेड़ों की सूची तैयार कर 15 जून, 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भेजने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समय पर काटा जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करने के व इसे शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूखे पेड़ों को काटने में देरी के कारण ये पेड़ जंगलों में ही सड़ जाते हैं जिसके कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि अवैध कटान पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने वन निगम के अधिकारियों की शक्तियों के युक्तिकरण करने के निर्देश दिए ताकि इमारती लकड़ी को वन निगम के नज़दीकी डिपो तक ले जाने की प्रक्रिया में तेज़ी लायी जा सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्पादकता में वृद्धि के लिए वन निगम के कर्मचारियों के युक्तिकरण तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग के निर्देश भी दिए। उन्होंने इमारती लकड़ी के प्रभावाशाली विपणन पर बल दिया इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों को आज की बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा के लिए 8 जून को वन निगम की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे पेड़ों के कटान के लिए ठेकेदारों को सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि सूखे पेड़ों को समय रहते वन भूमि से हटाया जा सके और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो सके।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वन ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

एक समय में एक काम करो। और इसे करते समय, अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए सभी को छोड़ दें।
–स्वामी विवेकानंद–

सम्पादकीय

सत्ता के नौ वर्षों पर कुछ सवाल

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व भाजपा सत्ता के नौ वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर देश भर में संपर्क से समर्थन के नाम पर कई आयोजन किये जा रहे हैं। इन आयोजनों में नौ वर्षों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जायेंगी। इन नौ वर्षों में पार्टी ने जो चुनावी सफलतायें हासिल की है उनके आधार पर यह जनधारणा बनाने का प्रयास किया गया कि **''मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है''** इसी धारणा के कारण मोदी ने नौ वर्षों में केवल अपने ही मन की बात देश को सुनाई। कभी कोई खुली पत्रकार वार्ता तक आयोजित नहीं की। मोदी के किसी भी फैसले पर पार्टी के भीतर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। यहां तक की करोना जैसी महामारी को भगाने के लिये मोदी के आदेश पर ताली थाली बजाने और दीपक जलाने पर अमल किया गया। इन नौ वर्षों में देश में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सहयोगी दलों तक में विभाजन की स्थितियां पैदा कर दी गयी। कांग्रेस मुक्त भारत तो राजनीतिक एजैण्डा बन गया। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय जांच एजैन्सियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। विरोध और मतभेद के स्वरों को देशद्रोह करार दे दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व प्रश्नित हो उठा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संकट के बादल मंडराने लगे। पूर्व केन्द्रीय कानून मन्त्री किरण रिज्जू के ब्यान इसके गवाह है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उसे रोकने और असफल बनाने के परोक्ष/अपरोक्ष प्रयास किये गये। यह सब देश देख चुका है। एक मानहानि मामले में किस तेजी के साथ राहुल की सांसदी और आवास छीने गये यह किसी से छुपा नहीं है। इन नौ वर्षों में हिन्दू–मुस्लिम एजैण्डे को लागू करने के लिये किस तरह अपरोक्ष में उच्च न्यायपालिका का भी प्रयोग हुआ यह मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन के फैसले से सामने आ जाता है। नोटबन्दी के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को कितना आघात पहुंचा है उसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि बाद में ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को विशेष आर्थिक पैकेज देने पडे। नोटबन्दी की सफलता का प्रमाण इसी से मिल जाता है कि सात वर्ष बाद ही दो हजार के नोट को चलन से बाहर करना पड़ा है। आज जब भाजपा नौ वर्षों की उपलब्धियां लेकर जनता में जायेगी तो क्या इस नोटबन्दी के लाभों पर कुछ कह पायेगी। क्योंकि जब 2016 में नोटबन्दी की गयी थी तब देश में 17 लाख करोड की करंसी चलन में थी जो 2022 में करीब 34 लाख करोड़ पहुंच गयी। करंसी का इतना फैलाव क्या प्रमाणित करता है। आज जो दो हजार का नोट चलन से बाहर किया जा रहा है इसके मुद्रण पर ही 21,000 करोड का खर्च हुआ है। उसकी भरपाई कहां से होगी यह सवाल जवाब मांगेगा। आज 2014 के मुकाबले मंहगाई कहां पहुंची है। यह हर उपभोक्ता व्यवहारिक रूप से भोग रहा है। बेरोजगारों सारे दावों के बावजूद कहां खड़ी है इसका जवाब हर बेरोजगार युवा मांग रहा है। क्योंकि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्राही–त्राही नहीं करता है। कर्नाटक के चुनाव ने प्रमाणित कर दिया है की महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त गरीब का आंकड़ा सबसे बड़ा है। यह गरीब स्वयं इस सब का भुक्त भोगी है और सत्ताएं बदलने का कारक बनता है।

सुन्नी छात्र संगठन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुसलमानों ने स्वीकारा,भारत धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि

गौतम चौधरी

भारत, सांप्रदायिक एकीकरण और भाईचारे की भूमि है। जीवंत लोकतंत्र वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां की सरकारें धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसकी गंगा–जमुनी तहजीब ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करने के अलावा अधिकारों और सुविधाओं की समानता की गारंटी देता है।

विगत 4 फरवरी, 2023 को कोझिकोड, केरल में सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन (SSF) के गोल्डन फिफ्टी कार्यक्रम में समस्त केरल जाम–ल्याथुल उलमा के सचिव और सुन्नियों के कांथापुरम गुट के नेता पोनमाला अब्दुल कादिर मुसलियार द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को धार्मिक और साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों में स्वतंत्रता का आनंद मिलता रहा है, जो किसी भी मुस्लिम या अरब देश में अनुभव नहीं किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में अपने अनुभव को साझा करते हुए, मुसलियार ने कहा कि भारत में उनकी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए कोई बाधा नहीं है लेकिन सऊदी अरब, कुवैत या बहरीन जैसे देशों में उनके संगठन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया। बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुस्लिम लीग केरल के अध्यक्ष, सदीक अली शिहाब थंगल ने भारत में मुसलमानों द्वारा अनुभव की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के पीछे भारतीय संविधान की ताकत का जिक्र किया।

कार्यक्रम के दौरान, कांथापुरम ए पी अबुबकर मुसलियार (भारत के वर्तमान ग्रैंड मुफ्ती, जामिया मरकज के चांसलर और अखिल भारतीय सुन्नी जामियाथुल उलेमा के महासचिव के रूप में भी जाने जाते हैं) ने युवाओं से देश में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए काम करने को कहा। लोगों को देश की शांति और प्रगति के लिए धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का सुझाव देते हुए, उन्होंने कहा कि सुन्नी आदर्श आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है, क्योंकि आतंकवाद और उग्रवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा, केरल हज कमेटी के अध्यक्ष सी मुहम्मद फैजी ने मुस्लिम समुदाय से सरकार या किसी अन्य संगठन की आलोचना नहीं करने का आग्रह किया, जिसके लिए समुदाय स्वयं जिम्मेदार है। इस मामले में उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यक हो, खुद को सही करें।

उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता के उत्तराधिकारी हैं। यहां हर मुसलमान बमबारी/गोलीबारी की आशंका के बिना नमाज/इबादत अदा करता है जैसा कि कई इस्लामिक देशों में होता है। चरमपंथियों और आतंकवादियों द्वारा नफरत और विभाजन का दुष्प्रचार मुसलमानों और उनके नेताओं के बीच एकता के कारण, अक्सर विफल हो जाता है। भारत के मुस्लिम और मुस्लिम संगठनों ने हमेशा अपने साथी नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए संघर्ष किया। यह समन्वयवादी संस्कृति, सहिष्णुता और सौहार्द से जुड़े लोकतंत्र में भारतीय मुसलमानों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। इस तरह की अंतर–धार्मिक एकता देश की नींव को मजबूत करने और उसके बाद के विकास के लिए एक सिद्ध आधार है।

इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं के बयान इस बात की गारंटी है कि भारत में जो भी असहिष्णुता की बात करता है वह राजनीति से ओतप्रोत है। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अबतक भारत में कई पार्टियों की सरकार आ चुकी है। हालांकि लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे प्रत्येक पार्टियों की सरकारों में होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यह जारी है लेकिन मुसलमान और हिन्दुओं की समझ में परिपक्वता और लोकतंत्र की मजबूती ने यह साबित किया है कि साम्प्रदायिक हिंसा धार्मिक नहीं राजनीतिक है। इसे कम किया जा सकता है। हालांकि हिन्दू और मुसलमान में सैद्धांतिक मतभेद है। दोनों की मान्यता भिन्न है बावजूद इसके दोनों कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर एकमत होते रहे हैं। भारत में लंबे समय तक सूफीवाद और भक्ति आन्दोलन का प्रभाव रहा। इस दौरान मुस्लिम राजाओं ने शासन किया लेकिन उनके कारिंदें हिन्दू हुआ करते थे। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। जब तक भारत का संविधान सुरक्षित है तब तक हमारा अधिकार सुरक्षित है। हिन्दू हो या मुसलमान दोनों के पंथ और धर्म भले अलग हों लेकिन संस्कृति तो दोनों की एक जैसी है। यह कभी नहीं बदल सकती है। इसलिए उक्त उलेमाओं ने साफ शब्दों में कहा भारत धार्मिक स्वतंत्रता की धरती है।

जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की

शिमला। आजादी के अमृत काल के तहत जल जीवन मिशन देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की एक नई उपलब्धि का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जेजेएम के लॉन्च की घोषणा के समय, गांवों में केवल 3.23 करोड़ (16.64%) घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध था।

अब की तारीख तक, 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह) ने इसकी 100% कवरेज की सूचना दी है। हिमाचल प्रदेश 98.35% पर तथा उसके बाद बिहार 96.05% पर है जो निकट भविष्य में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 'हर घर जल प्रमाणित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं'। यानी कि इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्रामीणों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से पुष्टि की है कि गांव में 'सभी घर और सार्वजनिक संस्थान को पर्याप्त, सुरक्षित और नियमित जल आपूर्ति हो रही है।

केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में 9.06 लाख (88.55%) स्कूलों और 9.39 लाख (84%) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। हमारे देश के 112 आकांक्षी जिलों में, मिशन के लॉन्च के समय, केवल 21.64 लाख (7.84%) घरों में नल का पानी उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 1.67 करोड़ (60.51) ऋ हो गया है।

तेलंगाना से तीन आकांक्षी जिले (कोमाराम भीम आसिफाबाद, जयशंकर भूपलपल्ली और भद्रब्री कोठागुडेम), गुजरात के दो जिले (दाहोद और नर्मदा) और पंजाब (मोगा और फिरोजपुर) और हरियाणा (मेवात) और हिमाचल प्रदेश (चंबा) में एक–एक जिले ने 100% नल जल कवरेज की सूचना दी है। कार्यान्वयन की गति को और तेज करने के लिए भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लगातार काम कर रही है।

जेजेएम, ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। नियमित रूप से नल के पानी की आपूर्ति से लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की भारी बाल्टी भरकर ले जाने से राहत मिलती है, जिससे सदियों पुरानी उनकी मेहनत कम हो जाती है। इस तरह से बचाए गए समय का उपयोग आय सृजन गतिविधियों, नए कौशल सीखने और बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए किया जा सकता है।

योजनाओं में दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं से जुड़ी योजना, इसके कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के केंद्र में शुरुआत से ही सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। देश में 5.24 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) /पानी समितियों का गठन किया गया है और 5.12 लाख ग्रामीण कार्य योजनाएं (वीएपी) तैयार की गई हैं, जिसमें पेयजल स्रोत वृद्धि, ग्रेवाटर उपचार और इसके पुनः उपयोग, और गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों का नियमित संचालन और रखरखाव आदि योजनाएं शामिल हैं। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, 22,016 बस्तियां (आर्सेनिक– 14,020, फ्लोराइड– 7,996), जिनकी 1.79 करोड़ आबादी (आर्सेनिक–1.19 करोड़, फ्लोराइड–0.59 करोड़) पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित थीं। जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बताया गया है, अब सभी आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।

पीएचसी के माध्यम से उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल पर रखा जाएगा

शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) दिवस के अवसर पर 2025 तक उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों की जांच करने और उन्हें मानक देखभाल के तहत लाने की एक महत्वाकांक्षी पहल आरंभ की। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित जी20 सह-ब्रांडेड कार्यक्रम ''उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाना'' में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ.वी.के.पॉल द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव एस. गोपालकृष्णन की उपस्थिति में की गयी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस और डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ की निदेशक डॉ.पूनम खेत्रपाल सिंह ने वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस नवोन्मेषी स्कीम को रेखांकित करते हुए, डॉ.पाल ने कहा कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर आरंभ एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ विश्व में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में एनसीडी का सबसे बड़ा विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि यह संसाधनों के आवंटन, क्षमता में वृद्धि, गतिशीलता और बहु-क्षेत्रवार सहयोग द्वारा एनसीडी पर ध्यान देने के सरकार के स्पष्ट संकल्प को इंगित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के तहत, भारत अमृत काल में अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बन जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में, भारत विकसित देशों के समकक्ष जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, एनसीडी जैसे सामाजिक संकेतकों में परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। आम बजट 2023-2024 के आउटकम बजट दस्तावेज में पहली बार उच्च रक्तचाप और मधुमेह उपचार का प्रावधान किया गया है जो आउटपुट संकेतकों के रूप में उच्च रक्तचाप और मधुमेह कवरेज सेवाओं में तेजी लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. पॉल ने उल्लेख किया कि एनसीडी के विरुद्ध लड़ाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर के माध्यम से लड़ी जानी है और बताया कि भारत ने 1.5 लाख से अधिक एचडब्ल्यूसी के सृजन तथा टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचालन के माध्यम से इसके प्रकोप का मुकबला करने के लिए एक मंच का सृजन किया है।

उच्च रक्तचाप की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाने के लिए डॉ.वी.के. पॉल ने राज्य की टीमों से अनुरोध किया कि वे सभी एसओपी का विशेष रूप से एसओपी की स्क्रीनिंग को जमीनी स्तर पर सही तरीके से करें, क्योंकि स्क्रीनिंग ही किसी भी रोग के सफल प्रबंधन की आधारशिला है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि केवल स्क्रीनिंग ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि निदान किए गए कम से कम 80 प्रतिशत लोगों को उपचार किया जाए। इस प्रयास में निजी सेक्टर के सहयोग की आवश्यकता और महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्जित करने के

लिए म डलों का निर्माण तथा विभिन्न प्राथमिक बाधाओं को दूर करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र के योगदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

डॉ. पॉल ने इस बात पर भी बल दिया कि रोकथाम के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिसमें अच्छा खाना खाने, व्यायाम करने और अन्य वेलनेस अभ्यासों के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव शामिल हैं। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस प्रयास को और अधिक दृष्टिगोचर बनाने के लिए एक जनआंदोलन की आवश्यकता तथा देशों को ''एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य'' की भावना से मिल जुल कर काम करने और एक दूसरे की सफलताओं को साझा करने की जरुरत भी रेखांकित की।

इस विलक्षण पहल पर भारत को बधाई देते हुए डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि भारत सरकार का 2025 तक उच्च रक्तचाप वाले 75 मिलियन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानक देखभाल के तहत लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए विश्व में एनसीडी का सबसे बड़ा कवर है।

अपने वर्चुअल संबोधन में डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने भी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य देखभाल पहलों को लांच करने के लिए भारत सरकार को बधाई दी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की और एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के प्रचालनगत होने को रेखांकित किया। उन्होंने एनसीडी नियंत्रण में तेजी लाने के लिए एक नए तथा प्रभावी क्षेत्रीय रोडमैप का निर्माण करने के लिए दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से भी अपील की।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने अर्थव्यवस्था, समाजगत बलों और महामारी विज्ञान बलों के बीच परस्पर क्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर के साथ, भारत में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर आज लगभग 70 पर पहुंच गयी है। आबादी के एक बड़े हिस्से की जीवनशैली पहले की तुलना में अधिक गतिहीन हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एनसीडी की समस्या का समाधान एक समाजगत दृष्टिकोण में निहित है जहां जागरूकता, रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और वेलनेस को एक समेकित रूप में देखा जाता है। उन्होंने '' देश में एनसीडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए अंत: क्षेत्रवार प्रयासों एवं सार्वजनिक और निजी सेक्टरों के सहयोगों की आवश्यकता '' पर भी बल दिया।

75/25 पहल के अतिरिक्त, 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए एनसीडी के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह पर प्रशिक्षित करने के लिए सशक्त पोर्टल भी लांच किया गया। राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के संशोधित प्रचालनगत दिशानिर्देशों को अधिक व्यापक कवरेज के लक्ष्य के साथ जारी किया गया। यह कार्यक्रम अब उच्च रक्तचाप और मधुमेह तथा ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल सहित तीन सामान्य कैंसरों के अतिरिक्त क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पुलमोनरी रोग (सीओपीडी) और अस्थमा, क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग (एनएएफएलडी), एसटी इलेवेशन ऑफ मायोकार्डियल इनफक्शन (एसटीईएमई) के लिए भी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विशाल चौहान, भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रोडरिको एच ओफरिन ऑफरिन, जी20 प्रतिनिधियों, डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ देशों के प्रतिभागियों, डब्ल्यूएचओ, यूएन तथ अन्य संगठनों के उच्च रक्तचाप और मधुमेह पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साझीदारों, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय एनसीडी साझीदारों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे

शिमला। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट (ओओए) वितरित किए।

नए नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवाओं में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत/47 के गवाह बनेंगे। यह प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित अगले एक वर्ष के दौरान 10 लाख नियुक्तियां प्रदान करने वाली श्रृंखला में पांचवां आयोजन है।

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला के गेयटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में 28 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेले का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शिमला के गेयटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां केंद्रीय मंत्रीअनुराग सिंह ठाकुर ने सभा को संबोधित किया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने रोज़गार मेले में शामिल हुए नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सरकार के लिए काम करने का आहवान किया। उन्होंने उनसे राष्ट्र की सेवा के मकसद से सरकारी सेवा में शामिल होने का आग्रह किया, न कि केवल सरकारी नौकरी पाने के लिए। देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए जो अंत्योदय सूची में सबसे नीचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी करते समय एक विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना चाहिए जहां वह अतिरिक्त समय और प्रयास लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान

कर सके। उन्होंने कहा कि जो भी जिस भी भूमिका में हो, उसे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए।

जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व उपयोग और स्टार्ट-अप में कई गुना वृद्धि के बारे में अपनी बात रखते हुए, उन्होंने नवनियुक्त युवाओं का आहवान किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए नियमित रूप से खुद को तकनीकी रूप से अद्यतन और उन्नत करें। उन्होंने कहा कि भारत ने एक लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाया है, जिसने 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है।

मंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नवनियुक्त लोगों को कर्मवीर का नाम दिया गया है जो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लोक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ने से समाज और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसे पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना चाहिए।

ठाकुर ने कहा कि देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। देश में सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी सेवाओं में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन रोजगार मेलों में अब तक देश भर में कुल 2 लाख 88000 हजार नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। राज्य सरकारों को भी रिक्त पदों को भरने का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अब रोजगार पर है।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। देश आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए पर्याप्त ऊर्जा भी चाहिए और आप सरकार का हिस्सा बनकर देश को विकास के पथ पर ले जाएंगे। उन्होंने नए प्रवेशकर्ताओं से सरकारी पहलों और योजनाओं को लागू करने में सरकार की मदद करने का आग्रह किया ताकि उनका लाभ अंतिम नागरिक तक पहुंचे।

वंदिता कौल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश ने कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर श्री सुरेश कश्यप, एमपी शिमला (हिमाचल प्रदेश) और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मशोबरा में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय सिपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को

सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दस लीटर गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वायदा किया था और सरकार इस योजना को धरातल पर उतराने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और आगामी दस वर्षों में हिमाचल देश के सबसे समृद्ध राज्य में शुमार होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग का आहवान भी किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गरीब परिवारों से संबंधित बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू की जाएगी।

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए अनिरुद्ध सिंह की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लोगों से जुड़ाव एवं अनुभव को देखते हुए ही उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल कर ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में प्रथम बार कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर उन्होंने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत मशोबरा से सिपुर सड़क को एक माह में पक्का करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने सिपुर मंदिर में शीश नवाया और मेला आयोजन समिति की स्मारिका का विमोचन भी किया।

इससे पूर्व मशोबरा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस मेले में दूरस्थ क्षेत्रों से लोग स्थानीय देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिमला जिला की भौगोलिक स्थितियों से भली-भांति परिचित हैं और क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पंचायत समिति शिमला की अध्यक्ष चन्द्रकांता, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा एवं रितेश कपरेट, अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

इथेनॉल प्लांट में 50 प्रतिशत निवेश हिस्सेदारी के लिए हिमाचल तैयार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है और आश्वस्त किया कि इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजल से सम्पर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह प्लांट स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर जिला तथा पंजाब के निकटवर्ती जिलों के किसान अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से लाभान्वित होगर्द्धे।

कंपनी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को संयंत्र के लिए 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये।

विधायक चैतन्य शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इथेनॉल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गगरेट क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और परिवहन उद्योग के लिए भी यह वरदान साबित होगा।

उत्पादों की गुणवत्ता के अनुसार ब्रांडिंग तथा विपणन महत्वपूर्ण: बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में कलस्टर विकास कार्यक्रम नए आयाम स्थापित करेगा। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित

करने के लिए विचार कर रही है।

यह जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में विभिन्न फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सेब, पलम, आड़ू, नाशपति तथा नींबू प्रजाति के फल इत्यादि प्रमुख हैं। प्रदेश के बागवानी उत्पाद देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं। किन्नौरी सेब एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उत्पादों की गुणवत्ता के अनुसार इनकी ब्रांर्डिंग तथा विपणन पर बल दिया जा रहा है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि कलस्टर विकास कार्यक्रम के तहत किसानों की सभी जिज्ञासाओं तथा समस्याओं का निवारण कलस्टर विकास एजेंसी करेगी। इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन के लिए प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कलस्टर विकास एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करेगी। कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। कार्यक्रम के तहत नर्सरी, पैक हाउस, शीत भण्डारण, प्रसंस्करण इकाई तथा एकत्रण केन्द्र के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत विभिन्न अन्य कार्यक्रमों व योजनाओं को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों को आधुनिक तकनीक तथा प्रचलनों से भी अवगत करवाया जाएगा और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी।

इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई ग्रांट थोर्नटन के पार्टनर चिराग जैन ने कलस्टर विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ होगा तथा प्रदेश में इस कार्यक्रम की सफलता की संभावना बेहतर है। कार्यक्रम के तहत सीडीपी सुरक्षा ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल पर किसानों को अपने लाभ से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के उप प्रबंध निदेशक बी.जे. ब्रह्मा तथा संयुक्त निदेशक आर. के. अग्रवाल, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोक्टा, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश उष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्द्धन परियोजना (एचपी शिवा) के परियोजना निदेशक देवेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एचपीएमसी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

एआई तकनीक के उपयोग से जीएसटी संग्रह में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने और क्षमता को सशक्त करने के लिए ऑडिट प्रवर्तन की आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का उपयोग करने के लिए एक वृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करने जा रहा है। इसके दृष्टिगत राज्य मंत्रिमण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी पहल को कार्यान्वित करने का मुख्य ध्येय वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े राजस्व नुकसान को कम करना है।

विभाग अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों के नियोजन और विशेषज्ञों की तैनाती से कर चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है ताकि प्रदेश के राजस्व को मज़बूत किया जा सके। इस परियोजना के कार्यान्वयन से जीएसटी बकाएदारों का वास्तविक डेटा उपलब्ध होगा और निरीक्षण तथा त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर सदैव बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्रवर्तन की आधुनिक तकनीक को अपनाने से सटीक डेटा तैयार करने, कर धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना के कार्यान्वित होने से प्रदेश के वार्षिक राजस्व में 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी होगी।

सीमित श्रम शक्ति के दृष्टिगत, कर हानि की पहचान करने के लिए करदाताओं के आंकड़ों का तुरंत विश्लेषण करने की एक महत्वपूर्ण चुनौती विभाग के समक्ष आयी है। एआई प्रौद्योगिकी उपयोग से इस चुनौती से निपटने की योजना तैयार की गयी है। इससे कर चोरी के मामलों की त्वरित पहचान करने तथा राज्य के जीएसटी राजस्व को बढ़ाने के लिए सटीक जानकारी भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, इस परियोजना के माध्यम से समय-समय पर राजस्व संग्रह पैटर्न का विश्लेषण करने तथा प्रोत्साहन नीतियों पर निर्णय लेने में राज्य सरकार को मदद प्राप्त होगी। साथ ही, स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना विभागीय अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ राजस्व में वृद्धि के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि एआई प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन से विभाग को मौजूदा चुनौतियों से और अधिक कुशलता से निपटने में मदद मिलेगी।

एआई को अपनाने और उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकों को शामिल करके, राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने, कर चोरी से निपटने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने में और अधिक सक्षम होगा। आधुनिक तकनीकों को नियोजित कर राज्य सरकार के इस तरह के प्रयास सरकारी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें टीजीटी (कला) के 1070 पद, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776 पद, टीजीटी

(मेडिकल) के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दृष्टिगत यह निर्णय दूरगामी भूमिका निभाएगा।

मंत्रिमण्डल ने दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा।

बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गयी है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023' को अधिसूचित करने को स्वीकृति प्रदान की। ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।

मंत्रिमण्डल ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कारवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।

बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है।

मंत्रिमंडल ने बी.जी. नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

हिमाचल की सड़कों को सुरक्षित व सुखद बना रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य सभी पहाड़ी राज्यों की तुलना में उच्चतम सड़क घनत्व वाला सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेशवासियों व बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां की सड़कों को सुरक्षित व सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के नैसर्गिक सौन्दर्य व साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन का आनंद उठाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में सर्पीले रास्तों पर इन पर्यटकों के वाहन, उच्चगति से चलने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले यात्रियों से सड़कों पर एक ऐसा विषम यातायात मिश्रण बनता है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। लापरवाह चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्रमुख चिंता है और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

हिमाचल सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नीति अधिसूचित कर दी गयी है और हिमाचल भारत का पहला राज्य है जहां सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया। इससे दुर्घटना संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने में सहायता मिली है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन नये यातायात-पर्यटक पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये थाने बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। यह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रत्येक थाने में स्थापित कंट्रोल रूप से संचालित किया जाएगा।

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फोरलेन पर दुर्घटना आदि की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के सुचारू संचालन और दुर्घटनाओं आदि की संभावनाओं को कम करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

इसके तहत आपातकालीन कॉल बॉक्स के साथ-साथ उच्च तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित ट्रैफिक काउंटर-कम-क्लासीफायर्स, व्हीकल ऐक्चुएटिड स्पीड डिस्प्लेस प्रदर्शन और ओवरहेड ड्राइवर फीडबैक सिस्टम, परिवर्तनीय यातायात संदेश चिन्ह (वेरयेबल मैसेज साईन), वीडियो घटना का पता लगाने वाली प्रणाली और मेट डिवाइस भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कमांड और नियंत्रण केंद्र तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी भी स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार की यह नवीन पहलें हिमाचल प्रदेश में यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुखद बनाने में मददगार साबित होंगी।

वित्तीय घाटे से उबारने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम में किए जाएंगे व्यापक सुधार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार लाएगी। वे परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर

वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी जिसके माध्यम से राज्य के लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) में बदला जा रहा है। वर्तमान में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि टाइप-1 की 75 ई-बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है, जिसकी निविदाएं पहले ही जारी कर दी गयी हैं। इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) अगले माह तक जारी होने की उम्मीद है। इन 75 ई-बसों के लिए मार्गों की पहचान कर ली गयी है और चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निगम ने 225 डीजल बसों को टाइप-2 ई-बसों से बदलने के लिए मार्गों की पहचान की है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित बजट पेश किया है और 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का लक्ष्य ई-वाहनों के संचालन में आदर्श स्थापित करना है और इन वाहनों के संचालन के लिए प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा देना सरकार की रणनीति का हिस्सा है।

बैठक के दौरान हमीरपुर में प्रस्तावित बस पोर्ट की भी समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीबीएसएमडीए) द्वारा अगले दो वर्षों के भीतर इसे तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिले के नादौन में ई-बस डिपो के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए परिवहन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए समर्थन व्यक्त किया।

उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में बहुमूल्य सुझाव भी दिए।

वाहनों के विशेष फेन्सी नम्बर जारी करने को संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली पुनः आरंभ

शिमला/शैल। निदेशक परिवहन विभाग, अनुपम कश्यप, ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए अपनी पसन्द के विशेष फेन्सी नम्बर (पंजीकरण चिन्ह) जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली 16 मई, 2023 से पुनः आरंभ कर दी गयी है।

उन्होंने बताया कि उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके।

उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ और शिमला पंजीकरण प्राधिकरण में आरंभ किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के उपरांत आगामी दिनों में संशोधित प्रणाली को प्रदेश के अन्य सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा।

संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर अपनी पसन्द के विशेष नम्बरों के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए दो हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करवाना होगा। रविवार के दिन इन नम्बरों की बोली का परिणाम पांच बजे के बाद ऑनलाइन स्वत: ही घोषित हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि बोली के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता को विशेष वाहन नम्बरों के लिए निर्धारित आधार मूल्य का 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आवेदनकर्ता यदि किसी कारण विशेष नम्बर लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापिस नहीं होगी। यह राशि सरकारी कोष में जमा होगी तथा उस विशेष नम्बर के लिए विभाग द्वारा दोबारा बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के विशेष नम्बर जारी करने के लिए अपनाई गयी ई-ऑक्शन प्रणाली में कुछ त्रुटियां सामने आयी थीं जिसमें कुछ मामलों में सफल बोलीदाता द्वारा लगायी गयी बोली की राशि जमा नहीं करवाई जाती थी और ये विशेष नम्बर निचले बोलीदाता द्वारा कम राशि में प्राप्त किए जाते थे। ऐसे कारणों से विभाग द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली को निलंबित कर दिया गया था।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या मुख्य संसदीय सचिव त्यागपत्र देंगे?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मुख्य संसदीय सचिव अपने पदों से त्यागपत्र देंगे यह सवाल इन दिनों प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस मामले की अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में 19 जून को तय हुई है। इसमें कोई लंबी तारीख न मिलने से यह चर्चा उठी है। स्मरणीय है कि जब संविधान संशोधन के बाद राज्यों के मंत्रीमण्डल से मंत्रियों की अधिकतम सीमा तय कर दी गयी थी तब कई राज्यों ने राजनीतिक संतुलन के उद्देश्य से मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव नियुक्त करने के अधिनियम पारित किये थे और राज्य मंत्री/ उप मंत्री के समकक्ष रखा था। इसी के साथ कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लाभ के पदों के दायरे से बाहर कर दिया था। हिमाचल में यह दोनों अधिनियम पारित हुये और कुछ विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव/ संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। कुछ लोग निगमों/बोर्डों में भी समायोजित हुये थे।

लेकिन जब ऐसे नियुक्त हुये मुख्य संसदीय सचिवों/ संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी तब उन्हें उच्च न्यायालय ने गैर सवैधानिक करार देकर तुरंत प्रभाव से हटाये जाने के आदेश कर दिये थे। अदालत के आदेशों के अनुपालन में यह लोग तुरन्त पदों से हट गये थे। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने पहले तो एसएलपी दायर करने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। दूसरी ओर नये सिरे से अधिनियम लाये इस अधिनियम को प्रदेश उच्च न्यायालय में फिर चुनौती मिल गयी। जो अब आयी याचिकाओं में प्रमुख रूप से संलग्न हो गयी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई थी वह 2017 में असम के मामले के साथ सलग्न हो गयी। असम के मामले में जुलाई 2017 में फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि राज्य की विधानसभा को इस आश्य का कानून बनाने का अधिकार ही नही है। असम के इस फैसले के साथ ही हिमाचल की एसएलपी सलंगन रही है। इसलिये कानून के जानकारों के मुताबिक हिमाचल को लेकर भी यह फैसला आ चुका है। जुलाई 2017 में यह फैसला आ जाने के कारण जयराम सरकार ने ऐसी नियुक्तियां नहीं की थी।

लेकिन अब सुक्खू सरकार ने तो मंत्रिमण्डल विस्तार से पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिला दी थी। अब इन नियुक्तियों को उच्च न्यायालय में चुनौती मिल चुकी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिपेक्ष में हिमाचल के एक्ट को वैध ठहराना संभव नहीं होगा। यह आशंका भी जताई जा रही है कि यदि असम के 2017 के फैसले के परिपेक्ष में हिमाचल की एसएलपी की सलग्नता का संज्ञान लेते हुये फैसला आता है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे और विधायकी पर भी आचं आ सकती है। इन लोगों को मिले लाभों को भी सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया जा सकता है। ऐसे में अदालत की अनुकंपा के मकसद से यह लोग फैसले से पहले ही पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आयी याचिका से भाजपा की नीयत और नीति पर उठे सवाल

✔ एन.के. शर्मा बनाम देवीलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठी चर्चा

शिमला/शैल। क्या भाजपा अपने शासित राज्यों के पदस्थ उप मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है? यह सवाल हिमाचल भाजपा के एक दर्जन विधायकों द्वारा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका से चर्चा में आया है। क्योंकि इस समय देश 29 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 16 उपमुख्यमंत्री हैं। इनमें सबसे अधिक पदस्थ उपमुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के हैं। इस समय आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मिज़ो नेशनल फ्रन्ट और वाई एसआर कांग्रेस पार्टी सभी के उपमुख्यमंत्री हैं। संविधान में उपप्रधानमंत्री या उपमुख्यमंत्री नाम से कोई पद अलग से परिभाषित नहीं है। न ही इन्हें एक मंत्री से अधिक शक्तियां और सुविधाएं प्रदत्त है। एक तरह से मंत्रीमण्डलों में संतुलन साधने के लिये यह पद चलन में आये हैं। जब स्व. वी.पी. सिंह सरकार के समय में स्व. देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब यह पद विवाद में आया था और मामला अदालत तक पहुंचा था। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही चली आ रही है। जब बिहार में अनुराग नारायण सिन्हा 1937 से 1939 और फिर 1946 से 1952 तक उप मुख्यमंत्री रहे। स्व. देवीलाल के शपथ ग्रहण में यह विवाद तब उठा था जब राष्ट्रपति वेंकटरमन अपने पाठ में मंत्री सब्द का प्रयोग करें और देवीलाल उसे उप प्रधानमंत्री पढ़ें। तब एक के.एम.शर्मा इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गये थे। तब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आधारित पीठ ने यह फैसला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिदृश्य में उप मुख्यमंत्री के पद को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रह जाती है। इसी के साथ महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस समय लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों में उपमुख्यमंत्री पदस्थ है। ऐसे में यदि किसी भी तर्क से हिमाचल के उपमुख्यमंत्री का पदनाम जाता है तो क्या उसी तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ याचिकाएं नहीं आएगी और ऐसे ही फैसले वहां नहीं आएंगे। कई राज्यों में भाजपा ने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है और उन्हें उपमुख्यमंत्री पद सौंपे हैं। तब इसका भाजपा के सहयोगियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। फिर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का मामला भी अदालत में गया था और उसे एन.के.शर्मा बनाम देवीलाल मामले की तर्ज पर राहत मिली है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि हिमाचल भाजपा के इन विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय और कुछ प्रदेशों के उच्च न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करके प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका किस नियत और नीति से दायर की है। कर्नाटक में तो उपमुख्यमंत्री की लंबी परम्परा रही है। येदुरप्पा जैसे कई नेता उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय इसमें राहत दे चुका है।